न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	**किस्म मुकदमा**	**प्रवेश दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
11 / 33 / 2024	अपील इंतकाल	26.11.2024	22.06.2025

उनवान प्रकरण :–

01. संजय कुमार यादव पुत्र श्री बलराम यादव जाति अहीर ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा। :–अपीलान्ट

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा।
02. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री प्रेमचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बादशाहपुर जिला गुरुग्राम, हरियाणा
03. श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री सुनील कुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम डून्डाहेडा जिला गुरुग्राम, हरियाणा
04. श्रीमती सीमा पत्नी श्री रामसिंह जाति कुम्हार निवासी मकान नं. 1496/26. बसई रोड, मनोहर नगर, हैप्पी मॉडल स्कूल के सामने, गुरूग्राम, हरियाणा
05. श्रीमती सोनिया पत्नी श्री राजकुमार जाति कुम्हार निवासी मकान नं. 106, वार्ड नं. 1, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध

निर्णय दर्ज व स्वीकार इन्तकाल सं. 2413 दर्ज दिनांक 10.08.2024 व अस्वीकार दिनांक 16.09.2024 वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा की आराजी में गलत तौर पर रेस्पोडेन्टान सं. 2 लगायत 5 का नाम बाद बेचान का अमल बदस्तूर रखा, बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट।

उपस्थित :

1. **श्री प्रदीप कुमार यादव एडवोकेट** :– **वकील अपीलान्ट**

–: <u>निर्णय</u> :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इन्तकाल सं. 2413 वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा का रेस्पोडेन्ट के निर्णय के विरूद्ध पेश की जा रही है। जिसका अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार निहित है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि इन्तकाल सं. 2413 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं. 380 रकबा 0.2200 हैक्टेयर का 3/8 हिस्सा वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जो कि रेस्पोडेन्टान सं. 2 लगायत 5 की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। उक्त वर्णित आराजी को मिन अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टान सं. 2 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04.07.2024 को बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद किया है।